

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 14, 1983/चैत्र 24 1905
No. 141] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 1983/CHAITRA 24, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 124/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1983

सांका०नि० 330(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का
माल), अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1914 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 252/
82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 8 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाय सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

(1)	(2)	(3)
“3. सूती कैंविक से बिकने ऐसे टुकड़े और चिपड़े जो क्रम सं० 1 और 2 से विनिर्दिष्ट नहीं हैं।		

[फा० सं० 51/23/82-के०उ०गु-2]

आर० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 124/83-CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 14th April, 1983

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 252/82-CE, dated the 8th November, 1982, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after Serial No. 2 and the entries relating thereto the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
“3. Fents and rags arising out of Cotton fabrics not Fifteen per cent <i>ad Valorem</i> specified in Sl. Nos. 1 and 2.		

[F. No. 51/23/82-CX.2.]

RAKESH SHARMA, Under Secy.